

क-282
अधिनियम,
वाद
वेदन

सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

महाबीर राम पिता स्व० रामलाल राम, निवास स्थान ग्राम-कुद, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-कटकमसांडी, थाना नं०-36, खाता संख्या-68, प्लॉट संख्या-3135, रकवा-0.0366 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-3140, रकवा-0.04 एकड़ कुल रकवा 0.0766 एकड़ (7.66 डिसमिल) (सात दशमलव छःछः डिसमिल) भूमि कुना देवी पति अजय पासवान, निवास स्थान ग्राम-खरिका, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-655/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3418/रा० दिनांक 08.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 282 दिनांक 06.06.2023 के द्वारा आवेदित भूमि का जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत माना दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 3.66 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.9633 एकड़ भूमि है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। आवेदक का खतियानी रैयत से दादा-पोता एवं जमाबंदी रैयत से पिता-पुत्र का संबंध है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 1.8066 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 1.10 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

2


1

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।


अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में महाबीर राम पिता स्व0 रामलाल राम, निवास स्थान ग्राम-कुद, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-कटकमसांडी, थाना नं0-36, खाता संख्या-68, प्लॉट संख्या-3135, रकवा-0.0366 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-3140, रकवा-0.04 एकड़ कुल रकवा 0.0766 एकड़ (7.66 डिसमिल) (सात दशमलव छःछः डिसमिल) भूमि कुना देवी पति अजय पासवान, निवास स्थान ग्राम-खरिका, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अपर समाहर्ता, हजारीबाग।



अपर समाहर्ता, हजारीबाग।